Re-Organising The Building Block Of Carbusian Legacy

“गतिशीलता” एक अनिवार्यता भी है और सुविधा भी। आधुनिक भारत के प्रथम योजनाबद्ध शहर "चण्डीगढ़" के "शॉपिंग हब" के रूप में प्रख्यात सेक्टर22 दीर्घकाल से यातायात और परिवहन संबंधी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है।

सर्वप्रथम "चण्डीगढ़ प्रशासन" द्वारा अधिकारिक रूप से "चण्डीगढ़ ऐप" बनाई जाए, जिससे सेक्टर22 में गतिशीलता के निम्नलिखित बिंदुओं-----सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल, कार-पार्किंग, नए रास्ते तथा ओवर ब्रिज से संबंधित जानकारी और बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो।

"सार्वजनिक परिवहन" की छोटी दूरी की बसें एक निश्चित अंतराल पर आएँ। सेक्टर 25-24-23-22-21-20-30-29 के "ट्रिब्यून चौंक" से गोल घूम कर वापिस दक्षिण मार्ग पर ही चले। इसी प्रकार जनमार्ग, उद्योग-पथ एवं हिमालय-मार्ग पर भी। इससे अनावश्यक प्रतीक्षा में स्वास्थ्य और श्रम की हानि नहीं होगी। अतिशीघ्रता में अन्य विकल्प अपनाए जाएँ। ऐप से टिकट आरक्षित करवा कर, किसी भी बस में यात्रा की सुविधा हो। अगला द्वार महिलाओं और 10 वर्ष तक की आयु के शिशुओं के चढ़ने-उतरने के लिए तथा पिछला द्वार पुरुषों और लड़कों के लिए हो। इससे छेड़छाड़, स्नैचिंग और अपराधिक मामले घटेंगे। परिचित चालक और सहयात्रिओं में सुरक्षाभाव और अपनत्व बढ़ेगा। पिछले द्वार पर भी एक सेवा कर्मचारी तैनात हो।

पार्किंग---22बी में गुरुद्वारा साहिब के सामने वाले पार्क को "अंडरग्राउंड पार्किंग" में बदला जाए, जिसमें उस क्षेत्र के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को पार्किंग की निश्चित जगह दी जाए। एबीसीडी क्षेत्र विशेष के लिए भी पार्किंग ऐप बनाकर बुकिंग सुरक्षित की जाए। निजी घरों में एक निश्चित हिस्सा पार्किंग के लिए छोड़ना अनिवार्य किया जाए। व्यवसायिक और रिहायशी इलाकों में अलग-अलग पार्किंग लेन हो। अवमानना करने वालों को भारी जुर्माना लगे।

सेक्टर के बाहरी छोर पर “यू शेप” में स्थित---सूद धर्मशाला से होटल लैंडमार्क, वहाँ से होटल सनबीम, फिर होटल अमर तक, पार्किंग एरिया को चार भागों में बाँटा जाए। दुकानों की ओर पैदल यात्री, मध्य में साइकिल सवार और तीसरी तरफ कैब, ऑटो तथा रिक्शा चलाए जाएँ। चौथे भाग में ट्रिपल स्टोरी पार्किंग हो। मोटर-कार के लिए मुख्य सड़क हो। साइकिल, वैकल्पिक दुकान की बेसमेंट में पार्क हो।

22बी में बनी मोबाइल मार्केट की बेतरतीब हालत को मूल-चूल परिवर्तन चाहिए। अचानक आग लगने या दुर्घटना होने पर फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस का पहुंचना तो संभव हो। यहां "ट्रिपल स्टोरी पार्किंग" बने। भिन्न-भिन्न समय तक रहने वाले दुकानदारों के वाहन अलग-अलग फ्लोर पर सुरक्षित हों। अचानक कहीं जाने के लिए कैब का प्रयोग करें। ग्राहक, ऐप से पार्किंग सुरक्षित करवा कर ही चलें। अन्यथा सार्वजनिक परिवहन अपनाएँ।

नए रास्ते---सेक्टर22 के एबीसीडी क्षेत्रों में, घरों से चौराहों तक वाहनों के लिए एक निश्चित मार्ग हो, जो कार्य स्थल तक ले जाए। मध्यवर्ती क्षेत्रों में निजी वाहनों का प्रयोग पूर्णत: निषिद्ध हो। रोगियों, बच्चों और बूढ़ों के लिए एक निश्चित शुल्क वाली कैब, ऑटो एवं रिक्शा हो। मुख्यतः पैदल या साइकिल अभ्यास में लाई जाए।

22डी में स्थित "सिविल हॉस्पिटल" और "गवर्नमेंट पेट हॉस्पिटल" की दोनों तरफ ट्रैफिक लाइट्स एवं ज़ेबरा क्रॉसिंग हो। यहाँ उपलब्ध अधिकतर सेवाओं से, स्वयं सेक्टर22 के निवासी भी अनजान हैं। अतः भवन के शीर्ष पर लगे एक "संयुक्त डिस्प्ले बोर्ड" में सभी सेवाएं तथा संबंधित नंबर प्रदर्शित होते रहें। जिसे पढ़कर दूसरे सेक्टरों या शहरों से आने वाले रोगियों को आपात स्थिति में उसका लाभ मिल सके। आपातकालीन सेवाओं के लिए बनाई गई "येलो लाइन" भी "विशेष कोड" से ही व्यवहार में लाई जाए।

साइकिल और पैदल यात्री---प्राथमिक सर्वे और अग्रिम बुकिंग के आधार पर एबीसीडी, चारों क्षेत्रों में चार "साइकिल सेंटर" बनाए जाएँ। मोबाइल पैक की तरह ही साइकिल पैक, एक निर्धारित लागत और अवधि का हो, जो व्यक्तिगत पासवर्ड से संचालित हो। रिचार्ज न करवाने पर पात्रता समाप्त हो जाए। किसी भी क्षेत्र से ली गई साइकिल दूसरे क्षेत्र में भी लौटाई जा सके। रात्रि में घर लाने पर अतिरिक्त शुल्क लगे।

ओवरब्रिज---इसमें "फोरलेन सिस्टम" हो। बीच की दोनों लेन आने-जाने के लिए, दाईं तथा बाईं लेन, प्रति किलोमीटर के पश्चात चालक को मुख्य सेक्टर से जोड़े। ओवरब्रिज पर चढ़ने वाला चालक पहले ही सुनिश्चित लेन में प्रवेश करे। इससे धन और समय का अपव्यय रुकेगा तथा क्षेत्रो के मध्यवर्ती भागों में लगने वाला जाम एवं चरमराता यातायात संतुलित होगा।

मुख्य बिंदु---

- भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थानीय निवासी को व्यवस्था, सुरक्षा और मार्गदर्शन का काम दिया जाए।
- सरकारी एवं निजी विद्यालयों, धार्मिक स्थलों, सामुदायिक केंद्रों, सार्वजनिक उद्यानों, धोबी घाट तथा यात्री निवास के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर लगाकर वाहनों की गति नियंत्रित की जाए।
- V4 से V6 में वाहन-गति-सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा मान्य हो, जिससे आपात-स्थिति में ब्रेक लगाकर अनचाही दुर्घटना टल सके।
- मार्केट एवं क्षेत्रों के प्रधान, समीपवर्ती घरों एवं कार्य क्षेत्रों वाले लोगों को "कार-पुलिंग" के लिए प्रेरित करें।
- "सिंगल विंडो सिस्टम" द्वारा पारदर्शी योजनाओं को विश्वसनीय बनाएँ।
- घरों के आगे तथा दुकानों के पीछे अवैध रूप से पार्क वाहनों को जब्त कर लिया जाए।
- दोपहिया और तिपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए भी एक निश्चित रंगीन पट्टी बने।
- लाइसेंस धारकों के लिए हर छह माह पश्चात नेत्र जांच आवश्यक हो।
- "नेहरू पार्क" से "शास्त्री मार्केट" तक "अंडरपास" बनाकर यातायात की अनावश्यक आपाधापी से निजात पाई जाए।
- "मूव हैक" द्वारा गतिशीलता संबंधी समस्याओं का अभिनव, अग्रणी, गतिशील और सरल समाधान हो।

प्रशासन और जनसाधारण में सामंजस्यपूर्ण सहयोग द्वारा गतिशीलता संबंधी समस्याओं का युक्तियुक्त समाधान संभव होगा । “कोपेनहेगन”, “ईस्टकोस्ट”, “सिएना”, “डिडकॉट”, “स्टॉकहोम”, “सांगडो”, “मसदर”, “ज्युरिख”, “सिंगापुर” आदि से प्रेरणा लेकर कम लागत और सीमित श्रम वाली प्रयोगात्मक विधियाँ अपनाएँ। **जनचेतना एवं व्यवहारिक फैसले और उनकी अनुपालना, सेक्टर22 में यातायात-परिवहन, पार्किंग, नए रास्तों, साइकिल और पैदल यात्री, ओवर ब्रिज की अवधारणा एवं योजनाओं को सफलतापूर्वक मूर्त रूप देंगे। संसाधनों के प्रयोग में सूझबूझ, सहयोग और आत्मसंयम से ही जीवन में गतिशीलता आएगी।**

FROM SECTOR TO **NEIGHOURHOOD: MOBILITY**

Reimagining Sector 22

डॉ भारती गुप्ता, हिंदी अध्यापिका, राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर 24, चण्डीगढ़। सेक्टर 22 में मायका और सेक्टर 23 में ससुराल होने के कारण लगभग 30 वर्षों से सेक्टर 22 से आत्मीय संबंध है। जीवन में गतिशीलता के लिए वातावरण भी जीवंत चाहिए। अतः यातायात एवं मानव का रिश्ता और भी घनिष्ठ बन जाता है। सार्वजनिक और निजी परिवहन तथा उनकी उचित देखभाल हम सभी का दायित्व है। सेक्टर 22 में सुरक्षित एवं सुचारु यातायात के लिए आवश्यक उपाय एवं उनका क्रियात्मक प्रयोग अत्यंत आवश्यक है।